

छत्तीसगढ़ शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक/पंचा.-3838/22/पंग्राविवि/2013/327 रायपुर, दिनांक 22/03/2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,  
छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत - छत्तीसगढ़
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जनपद पंचायत - छत्तीसगढ़

विषय :- ग्राम पंचायत सचिवों के स्थायी यात्रा भत्ता में वृद्धि।

—000—

इस विभाग के आदेश क्रमांक/पंचा-4685/पंग्राविवि/2010/8090, दिनांक 22.11.2010 द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों को रुपये 250/- प्रतिमाह स्थायी यात्रा भत्ता भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई थी। राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार उन्हें दिनांक 01.04.2013 से रुपये 250/- के स्थान पर रुपये 350/- प्रतिमाह स्थायी यात्रा भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू ओ क्रमांक 955/सी.एन.-1002751 बजट-2/वित्त/चार, 2013, दिनांक 11.03.2013 द्वारा प्रदान की गई है।

R. Shetty

(रीता शांडिल्य)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पू.क्रमांक/पंचा.-3838/22/पंग्राविवि/2013/327 रायपुर, दिनांक 22/03/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।

- 2 विशेष सहायक, मानीनय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ ।
- 3 अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 4 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 5 समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
- 6 आयुक्त, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 7 आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8 समस्त जिला अंकेक्षक, पंचायत, जिला कार्यालय, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

R. Shankhly

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग